फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

प्रेमाराम वगैरा बनाम गोरधनराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं. 234/15 सन 2015

तारीख हुक्म	**हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.12.15	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पैतृक है। वकील प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण पैतृक कृषि भूमि के निश्चित भू-भाग को बेचने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 16.02.2016 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 706/438 रकबा 115.02 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करें, न ही किसी प्रकार का बेचान या रहन या वसियत आदि करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 16.02.2016 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

16/02/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थियों के नोटिस जारी नहीं किये गये जो जारी होकर पत्रावली वापिस दिनांक 18/04/16 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वआदेशानुसार यथावत रहेगा।

15/07/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद Not press में खारिज हो चुका है। इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहा है अतः प्रार्थी का आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Not press
15/7/2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:49:04 IST
Reason: SelfAttested